लेखा·योग

संस्थाओं का नियमन (गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक) ७८वाँ अङ्क - अप्रैल '०२ (नवम्बर '०२ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

गुजरात	१
गोवा, दमण व दीव	२
हरियाणा	३
हिमाचल प्रदेश	३
जम्मू एवं कश्मीर	४

इस अङ्क के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बडा कठिन सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अङ्क में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।

गुजरात[१]

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (The Societies Registration Act, 1860); राज्य द्वारा संशोधित]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन[२] तथा नियम-विनियम[३] की प्रमाणित[४] प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) अहमदाबाद,

नडियाद या किसी अन्य क्षेत्रीय केन्द्र[५] में संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी (रजिस्ट्रार) या सहायक पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

संस्था का नाम किसी दूसरी संस्था के नाम से समरूप नहीं होना चाहिए। संस्था के नाम से यह भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि संस्था सरकार से सम्बन्धित है (धारा-३ए) ।

परिवर्तन- आप संस्था के उदेश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम बदल सकते हैं, तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय (जनरल बॉडी) के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन होना चाहिए (धारा-१२)।

संस्था के नाम में परिवर्तन, पञ्जिकाधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रभावी होता है (धारा-१२ए)।

नाम बदलने से संस्था के अधिकारों या उसके उत्तरदायित्वों में कोई अन्तर नहीं आता। संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध किसी वैधानिक कार्यवाही पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता (धारा-१२बी)।

शासी-निकाय[६] की सदस्य-सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन होने के १४ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता तो इसे जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४) ।

शासी-निकाय के सदस्यों की परिवर्तित सूची भी प्रत्येक वर्ष जमा करवानी चाहिए। यदि संस्था के नियमों में संशोधन होता है तो संशोधित नियमों की प्रमाणित[७] प्रतिलिपि भी जमा करवाना आवश्यक है (धारा-४ए)। सभी प्रलेखों को परिवर्तन के ३० दिनों के अन्दर जमा करवा देना चाहिए।

पञ्जिकाधिकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में अतिरिक्त जानकारी[८] माँग सकते हैं - जैसे कर्मचारियों की सङ्ख्या, उनका वेतन, उनको संस्था द्वारा प्रदत्त योगदान, छूट, या अन्य लाभ व सुविधाएँ [धारा-४बी-(१)]।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान- संस्था को उचित खाते रखने चाहिए। सभी खातों का प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च को संवरण[९] करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष इनका अङ्केक्षण (ऑडिट) कराना भी अनिवार्य है (धारा-१२डी) ।

अङ्केक्षक (ऑडिटर) को संस्था का आय-व्यय खाता व आर्थिक चिट्ठा बनाकर[१०] पञ्जिकाधिकारी के पास भेजना चाहिए। उन्हें अङ्केक्षण के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता[११] का विवरण देना चाहिए। उनको इन अनियमितताओं के कारणों का उल्लेख भी करना चाहिए - अर्थात् क्या यह शासी-निकाय के सदस्यों या किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वासघात, गबन, या कुप्रबन्धन के कारण हुआ है (धारा-१२इ)।

विघटन- यदि विशेष अधिवेशन में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य विघटन-प्रस्ताव का समर्थन करें तो

---

[१] संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम के अतिरिक्त मुम्बई पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट १९५० भी लागू होगा।
[२] मैमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन
[३] रूल्स एण्ड रेगुलेशंस
[४] शासी-निकाय के तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित।
[५] कृपया अपने जिले / क्षेत्र की अधिकारिता की पुष्टि कर लें।
[६] गवर्निङ्ग बॉडी
[७] शासी-निकाय के तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित।
[८] संस्था की लिखित पूर्वानुमति के बिना ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती {धारा ४बी(४)}।
[९] क्लोजिङ्ग
[१०] साधारणतया अङ्केक्षक ये खाते नहीं बनाते, परन्तु इस अधिनियम में 'बनाना' शब्द प्रयुक्त हुआ है।
[११] यहाँ 'अनियमितता' का अर्थ है - अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा सम्पत्ति या पैसा वसूलने में विफलता।

संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है या फिर सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है (धारा-१३)। किन्तु सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती। विघटन के बाद संस्था के सदस्य इस सम्पत्ति को किसी दूसरी संस्था को भी नहीं दे सकते। किन्तु संस्था के उपस्थित सदस्य बहुमत से इस सम्पत्ति[१२] को सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं। सरकार इस सम्पत्ति का उपयोग धारा-१ में दिये गए उद्देश्यों के लिए कर सकती है (धारा-१४, राज्याधिनियम द्वारा संशोधित)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों[१३] को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि (पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित) भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

गोवा, दमण व दीव

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (The Societies Registration Act, 1860); राज्य द्वारा संशोधित]

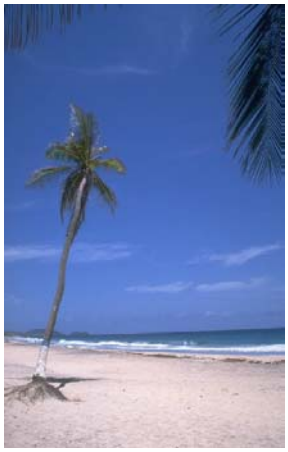

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) पञ्जीकरण के महानिरीक्षक[१४] के पास[१५] जमा करवानी होगी (धारा-३)।

परिवर्तन- आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम बदल सकते हैं, तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन होना चाहिए (धारा-१२)।

संस्था के नाम में परिवर्तन, महानिरीक्षक की अनुमति के बाद ही प्रभावी होता है (धारा-१२ए)।

नाम बदलने से संस्था के अधिकारों या उसके उत्तरदायित्वों में कोई अन्तर नहीं आता। संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध किसी वैधानिक कार्यवाही पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता (धारा-१२बी)।

शासी-निकाय की सदस्य-सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन होने के १४ दिनों के अन्दर पञ्जीकरण महानिरीक्षक के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

महानिरीक्षक संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में अतिरिक्त जानकारी[१६] माँग सकते हैं - जैसे कर्मचारियों की सङ्ख्या, उनका वेतन, उनको संस्था द्वारा प्रदत्त योगदान, छूट, या अन्य सुविधाएँ [धारा-४बी-(१)]।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान- संस्था को उचित खाते रखने चाहिए। सभी खातों का प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च को संवरण करना चाहिए तथा इन सब का प्रत्येक वर्ष अङ्केक्षण कराना भी अनिवार्य है (धारा-१२सी)।

अङ्केक्षक को संस्था के आय-व्यय खाते व आर्थिक चिट्ठे की प्रतिलिपि व अङ्केक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) महानिरीक्षक के पास भेजनी चाहिए। उन्हें अङ्केक्षण के समय पाई गई किसी भी अनियमितता[१७] का विवरण देना चाहिए। उनको इन अनियमितताओं के कारणों का उल्लेख भी करना चाहिए - अर्थात क्या यह शासी-निकाय के सदस्यों या किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वासघात, गबन, या कुप्रबन्धन के कारण हुआ है (धारा-१२डी)।

विघटन- यदि विशेष अधिवेशन में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य विघटन-प्रस्ताव का समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है या फिर सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है (धारा-१३)। किन्तु सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती। विघटन के बाद संस्था के सदस्य इस सम्पत्ति को किसी दूसरी संस्था को भी नहीं दे सकते। किन्तु संस्था के उपस्थित सदस्य बहुमत से इस सम्पत्ति[१८] को सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं।

सरकार इस सम्पत्ति का उपयोग धारा-१ए में दिये गए उद्देश्यों के लिए कर सकती है (धारा-१४-ए, राज्य द्वारा प्रविष्टित)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों[१९] को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि (महानिरीक्षक द्वारा प्रमाणित) भी प्राप्त कर सकते हैं (धारा-१६)।

---

[१२] सभी दायित्वों और ऋणों को चुकाने के बाद
[१३] गोपनीय प्रलेखों को छोड़ कर
[१४] इन्सपैक्टर जनरल
[१५] हमें स्थान की जानकारी नहीं है।
[१६] कृपया पाद टिप्पणी क्रमाङ्क ८ देखें (धारा-११बी)।
[१७] कृपया पाद टिप्पणी क्रमाङ्क ११ देखें।
[१८] सभी दायित्वों और ऋणों को चुकाने के बाद
[१९] गोपनीय प्रलेखों के अलावा

हरियाणा

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (The Societies Registration Act, 1860); राज्य द्वारा कोई संशोधन नहीं]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रतिलिपि संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों के पञ्जिकाधिकारी[२०] के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है (धारा-१२)।

शासी-निकाय की सदस्य-सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन होने के १४ दिनों के अन्दर, संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान– हरियाणा में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन– यदि विशेष अधिवेशन में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य विघटन-प्रस्ताव का समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है या फिर सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है (धारा-१३)। किन्तु सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों[२१] के बीच नहीं बाँटी जा सकती। किन्तु विघटन के समय उपस्थित ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य इस सम्पत्ति[२२] को किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१२)।

अन्य प्रावधान– एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि (पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित) भी प्राप्त कर सकते हैं (धारा-१६)।

हिमाचल प्रदेश

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६० (The Societies Registration Act, 1860); राज्य द्वारा संशोधित]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रतिलिपि (५० रुपये शुल्क के साथ) संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी होगी (धारा-३)। राज्य सरकार किसी विशिष्ट संस्था को पञ्जीकरण का शुल्क देने से विमुक्त[२३] कर सकती है। पञ्जीकरण के सभी प्रलेख सोलन या चम्बा जिले[२४] में स्थित संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवाएँ।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम बदल सकते हैं, तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है (धारा-१२)।

पञ्जिकाधिकारी की अनुमति मिलने और बदले हुए नाम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही संस्था अपना नया नाम प्रयोग कर सकती है। पञ्जिकाधिकारी भी स्वतः किसी संस्था को नाम बदलने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में संस्था को निर्देश मिलने के तीन माह के अन्दर अपना नाम बदल लेना चाहिए (धारा-१२ए)।

शासी-निकाय की सदस्य-सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन होने के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)। यदि संस्था ऐसा नहीं करती तो उसे ५० रुपए[२५] दण्ड देना होगा।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान– हिमाचल प्रदेश में खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन– यदि विशेष अधिवेशन में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य विघटन-प्रस्ताव का समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है या फिर सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है (धारा-१३)। किन्तु सरकार स्वयं न

[२०] रजिस्ट्रार ऑफ जॉएण्ट स्टॉक कम्पनीज़

[२१] यह नियम संयुक्त स्कन्ध (जॉएण्ट स्टॉक) कम्पनी के रूप में बनी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। वर्तमान परिवेश में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ केवल कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है। अतः यह प्रावधान प्रभावहीन हो गया है।

[२२] सभी दायित्वों और ऋणों को चुकाने के बाद (धारा-१२)।

[२३] राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद

[२४] अन्य जिलों में भी पञ्जीकरण कार्यालय हो सकता है।

[२५] १९४९ के पंजाब अधिनियम संख्या ६ द्वारा, धारा-४ के अन्तर्गत संशोधित

तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती। किन्तु विघटन के समय उपस्थित ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य इस सम्पत्ति[२६] को किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय ले सकते हैं।

अन्य प्रावधान– एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि (पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित) भी प्राप्त कर सकते हैं (धारा-१६)।

जम्मू एवं कश्मीर

[जम्मू एवं कश्मीर संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १६६८ विक्रम सम्वत्[२७] (Jammu & Kashmir Societies Registration Act, 1998 Vikram Samvat)]

पञ्जीकरण–

पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने सङ्गम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रतिलिपि संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास[२८] जमा करवानी होगी (धारा-४)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महा-निकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन के लिए कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है (धारा-१०)।

शासी-निकाय की सदस्य-सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन होने के १४ दिनों के अन्दर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता तो इस सूची को कार्तिक माह में जमा करवाएँ (धारा-५)।

लेखा सम्बन्धी प्रावधान– जम्मू एवं कश्मीर में भी खातों से सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

विघटन– यदि महाधिवेशन में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य विघटन-प्रस्ताव का समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है या फिर सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है (धारा-११)। किन्तु सरकार स्वयं न तो संस्था को विघटित करने का आदेश दे सकती है और ना ही संस्था का अधिग्रहण कर सकती है।

[२६] सभी दायित्वों और ऋणों को चुकाने के बाद
[२७] तद्नुसार सन १६४१ ईस्वी
[२८] पञ्जिकाधिकारी के अन्य कार्यालयों की जानकारी नहीं है ।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय किसी संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती। किन्तु विघटन के समय उपस्थित ३/५ (६० प्रतिशत) सदस्य इस सम्पत्ति[२६] को किसी दूसरी संस्था को या सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१२)।

अन्य प्रावधान– ५० पैसे प्रति घण्टा या प्रत्येक निरीक्षण के लिए अधिकतम एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि (पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित) भी प्राप्त कर सकते हैं (धारा-१७)।

सम्बन्धित लेखा·योग –

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन : आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पंजीकृत संस्था - १
७६: संस्थाओं का नियमन : कर्नाटक से केरल तक
८०: संस्थाओं का नियमन : मध्य प्रदेश से मेघालय तक
८१: संस्थाओं का नियमन : मिज़ोरम से पंजाब तक
८२: संस्थाओं का नियमन : राजस्थान से तमिलनाडु तक
८३: संस्थाओं का नियमन : त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक

लेखा·योग क्या है– 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है 'दो सङ्ख्याओं को जोड़ना'। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद् गीता में निष्काम कर्म को ही योग बताया गया है। लेखा-कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के हिसाब-किताब में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग (AccountAble™) हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखाविधि प्रणाली से सम्बन्धित, विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दाता संस्थाओं व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म्स) में लगभग १,२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है, यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आंग्ल भाषा में लेखा·योग– This issue of *Lekha-Yog* is available in English as AccountAble.

विधि व्याख्या– यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गई है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाता से सम्मति ले लें।

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप– लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आंग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

अकाउण्टएड कैपस्यूल्स– जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखाविधि प्रणाली से सम्बन्धित, विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी परन्तु महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अकाउण्टएड कैपस्यूल्स आंग्ल भाषा में उपलब्ध हैं। इस सुविधा के लिए कृपया accountaid-subscribe@topica.com पर ई-डाक भेजें।

अपने प्रश्न व सुझाव हमें इस पते पर भेजें: अकाउण्टएड इण्डिया ५५-ए, पॉकेट-सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली - ११० ०१४ दूरभाष : ०११ - २६३४ ३१२८, २६३४ ६१११; प्रतिरूप प्रेषिका : २६३४ ३८५२, ई-डाक : accountaid@vsnl.com

© AccountAid™ India दिसम्बर, सन् २००२ ईस्वी; पौष विक्रम संवत् २०५६

[२६] सभी दायित्वों और ऋणों को चुकाने के बाद